न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

नि- 3527-16

प्रकरण क्रमांक: /२०१६ निगरानी

पारस सिंह पुत्र कृपाल सिंह जाट,
निवासी ग्राम मुरवाड़ा, तहसील करहल,
जिला श्योपुर-म०प्र० ।

------ प्रार्थी

विरुध्द

१- मध्यप्रदेश शासन
२- औंकार पुत्र काड़या जाटव,
निवासीगण ग्राम पचेला, तहसील करहल,
जिला श्योपुर-म०प्र० ।
३- मुस० सुखो वेवा पु चुन्नी जाटव,
निवासी पचेला, तहसील करहल जिला श्योपुर मध्यप्रदेश ।

----- प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी विरुध्द आदेश अपर कलेक्टर महोदय श्योपुर दिनांक ७-६-१६ अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९। प्र०क्र० ४।१५-१६ स्वमेव निगरानी ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है:-

१- यह कि, अपर कलेक्टर महोदय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, अपर कलेक्टर महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, अपर कलेक्टर महोदय के न्यायालय में प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है । प्रार्थी को सुनवाई का अवसर समाप्त करने संबंधी आदेश प्राकृतिक न्याय सिध्दान्तों के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है ।

४- यह कि, मात्र प्रतिवेदन को आधार मानकर पारित विवादित आदेश निरस्ती योग्य है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3527–एक/2016 जिला–श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7.2.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 अवस्थी उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपर कलेक्टर जिला श्योपुर के प्रकरण कमांक 04/स्व0 निगरानी/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 07/09/16 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/04/19 को उपस्थित हों। पेशी दिनांक 15/4/19 सदस्य **अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना**	